न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – यशपाल आहूजा, आर.ए.एस.

आवेदनपत्र संख्या 22/2017
अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्तकारी अधिनियम

ओमप्रकाश आत्मज श्री रामलाल, नायक, चक 2 डी बड़ी तहसील व जिला श्रीगंगानगर.

.....आवेदक

बनाम

1. महावीर आत्मज श्री बाबूलाल, चमार, हिन्दूमलकोट तहसील व जिला श्रीगंगानगर.
2. तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

.......अनावेदकगण

उपस्थिति– श्री ओमप्रकाश बत्तरा (आवेदक)
श्री राजेश गुम्बर (अनावेदक–1)
राज्य प्रतिनिधि (अनावेदक–2)

दिनांक 18 अक्तूबर, 2017

– आदेश –

आवेदनपत्र के अनुसार चक 6 डी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/24 मुरब्बा नम्बर 4 की 2.024 हैक्टर कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम पर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है. जिसे आवेदक द्वारा कुल राशि 7,00,000.00 भुगतान कर अनावेदक द्वारा आवेदक के नाम पर पंजीबद्व विक्रय विलेख निष्पादित कर विक्रयाधीन उक्त कृषि भूमि का भौतिक कब्जा आवेदक को सौंप दिया गया. इस प्रकार क्रयाधीन कृषि भूमि के पानी की बारी आवेदक के नाम पर दर्ज है तथा मौका पर कब्जा आवेदक का चला आ रहा है. अनावेदक संख्या 1 द्वारा जब प्रश्नगत कृषि भूमि का विक्रय किया गया था, तत्समय विक्रयाधीन कृषि भूमि पर ऋण स्वीकृत था जिसके लिये अनावेदक संख्या 1 द्वारा आवेदक को विश्वास दिलवाया गया कि वह ऋण राशि जमा करवा देगा जिसके बाद आवेदक क्रयाधीन कृषि भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करवा लेगा. किन्तु अनावेदक द्वारा अभी तक ऋण राशि जमा नहीं करवायी गयी तथा राजस्व अभिलेखों में विक्रयाधीन कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम पर दर्ज होने के कारण बदनीयती से विक्रयाधीन कृषि भूमि को अन्यत्र विक्रय करने तथा जबरन कब्जा करने में प्रयासरत है. यदि अनावेदक संख्या 1 द्वारा उल्लेखित कृषि भूमि को पुनः विक्रय कर दिया तो आवेदक को अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड़ेगा. इस प्रकार आवेदक द्वारा अनावेदक संख्या 1 के विरूद्व चक 6 डी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/24 मुरब्बा नम्बर 4

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक ...
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

की 2.024 हैक्टर कृषि भूमि को बंधक, विक्रय करने से निषिद्य करने के साथ साथ मौका एवं अभिलेखों की यथास्थिति रखे जाने के लिये अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया गया. आवेदनपत्र के तथ्यों के समर्थन में जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070एवं पंजीबद्व विक्रय विलेख दिनांक 27 अप्रेल, 2015 की चित्रित प्रतियां संलग्न प्रस्तुत की गयी.

अनावेदक संख्या 1 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित. अनावेदक संख्या 2 राज्यपक्ष की ओर से राज्य प्रतिनिधि उपस्थित.

अनावेदक संख्या 1 को जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के यथोचित अवसर दिये जाने पर भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दिनांक 1 जून, 2017 को अन्तिम अवसर दिया गया जिस पर भी जवाब आवेदनपत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के परिणामतः आदेश दिनांक 15 जून, 2017 द्वारा जवाब आवेदनपत्र बन्द किया गया.

अनावेदक संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से राज्य प्रतिनिधि द्वारा जवाब आवेदनपत्र दिनांक 07 अप्रेल, 2017 प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार भूमि विवाद आपसी पक्षकारान के मध्य है. राज्यपक्ष से कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है अतः राज्य हितों को मध्यनजर रखते हुऐ निर्णय लिये जाने का निवेदन किया गया.

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गयी.

पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों का अवलोकन करते हुऐ प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया.

अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु महत्वपूर्ण तीनों बिन्दुओं क्रमशः प्रथमदृष्टया वादकरण, सुविधा का सन्तुलन एवं अपरिमेय क्षति की विवेचना की गयी.

राजस्व अभिलेख जमाबन्दी सम्बत् 2067–2070 के अनुसार चक 6 डी बड़ी के मुरब्बा नम्बर 4 किला नम्बर 1 से 8 कुल 2.024 हैकअर कृषि भूमि अनावेदक संख्या 1 के नाम पर दर्ज है जिसे अनावेदक संख्या 1 द्वारा पंजीबद्व दस्तावेज बैयनामा दिनांक 27 अप्रेल, 2015 द्वारा आवेदक को विक्रय किया गया है. आवेदक द्वारा क्रयाधीन कृषि भूमि पर कब्जा होने के तथ्य अंकित किये गये हैं जिनका अनावेदक संख्या 1 द्वारा किसी भी दृष्टिकोण से विरोध नहीं किया गया है. ऐसी स्थिति में, यदि अनावेदक संख्या 1 पूर्व में आवेदक को विक्रयाधीन कृषि भूमि को पुनः अन्यत्र अन्तरण किया जाता है तो निशिचित रूप से आवेदक को अपूर्णनीय क्षति का सामना करना पड़ेगा. इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु आवेदक के पक्ष में सिद्व है.

अतः आवेदनपत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि अनावेदक संख्या 1 मूल वाद के निस्तारण तक, चक 6

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

डी बड़ी तहसील जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 27/24 मुरब्बा नम्बर 4 की 2.024 हैक्टर कृषि भूमि को अन्यत्र बंधक, विक्रय अथवा किसी भी अन्य तरीका से अन्तरित करने से निषिद्व रहे.

आदेश अधिवक्तागण के समक्ष खुले न्यायालय में आज दिनांक 18 अक्तूबर, 2017 को सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया.

(यशपाल आहूजा)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर